दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

+ ज़मानत आवेदन 1266/2023

पी. शरथ चंद्र रेड्डी ...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विकास पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री मयंक जैन, श्री परमात्मा सिंह, श्री मधुर जैन, श्री विवेक चंद्र जैसवाल, श्री लक्षय राज, श्री प्रभाव रल्ली और सुश्री नमिशा जैन, अधिवक्तागण|

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय ...प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एस.वी. राजू, विद्वान अति.महा.सा. के साथ श्री जोहेब हुसैन, प्र.नि. के अधिवक्ता, श्री ए. वेंकटेश और श्री विवेक गुरनानी, अधिवक्तागण, श्री जोगिंदर, जांच अधिकारी|

निर्णय की तिथिः 08.05.2023

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>दिनेश कुमार शर्मा, न्या. (मौखिक)</u>

<u>आप.वि.अ. 10307/2023 (छूट के लिए)</u>

छूट केवल अपवादों के अध्यधीन प्रदान की गई है|

आवेदन का निपटान किया जाता है|

<u>ज़मानत आवेदन 1266/2023 और आप.वि.(जमानत) 561/2023</u>

1. वर्तमान जमानत आवेदन निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई हैः

क) ईसीआईआर/एचआईयू-II/14/2022 में याचिकाकर्ता की ऐसे नियमों और शर्तों पर नियमित जमानत दी जाए जो इस माननीय न्यायालय को उचित और न्यायसंगत लगे;

2. प्रस्तुतियों के दौरान, श्री विकास पाहवा, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने याचिकाकर्ता की चिकित्सीय अवस्था के बारे में एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दायर किया था| विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि हालाँकि शुरूआत में जमानत गुणागुण के आधार पर मांगी गई थी, लेकिन अंतराल अवधि में, याचिकाकर्ता की चिकित्सीय अवस्था बिगड़ गई है और जो चिकित्सा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता बीमार और कमजोर है|

3. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस.वि.राजू पुष्टि करते हैं कि अतिरिक्त शपथ-पत्र की प्रति उन्हें प्रदान की गई है और उसे सत्यापित किया गया है और वह वास्तविक पाई गई है| विद्वान अति.महा.सा. आगे प्रस्तुत करते हैं कि हालाँकि वे गुणागुण के आधार पर आवेदन का विरोध करते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए, एक उचित आदेश पारित किया जा सकता है| विद्वान अति.महा.सा. ने बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि उस अवधि के दौरान जब याचिकाकर्ता जमानत पर था, तब जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है और ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिली है|

4. श्री विकास पाहवा प्रस्तुत करते हैं कि हालाँकि चिकित्सा के आधार पर जमानत देने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रकथन नहीं था, परन्तु एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न होने से, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को उसकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए चिकित्सा आधार पर जमानत देने के अनुरोध पर विचार कर सकती है| विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ चिकित्सा रिकॉर्ड दायर किया है, हालाँकि, शपथ-पत्र और चिकित्सा दस्तावेज अभिलेख पर नहीं हैं, लेकिन प्रतिलिपि प्रदान की गई है| इसे आज ही अभिलेख पर लाया जाए| अतिरिक्त शपथ पत्र के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:-

3. कि याचिकाकर्ता के चिकित्सा अभिलेख जैसे निश्चित प्रासंगिक दस्तावेज अनजाने में आवेदन के साथ दायर नहीं किए गए थे| यह आवश्यक है कि इन दस्तावेजों को अभिलेख पर रखा जाए ताकि इस माननीय न्यायालय को मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को परख कर जमानत आवेदन पर उचित न्यायनिर्णयन किया जा सके|

4. याचिकाकर्ता निम्नलिखित प्रासंगिक दस्तावेजों/चिकित्सा रिकॉर्ड को अभिलेख पर रखने की स्वतंत्रता चाहता है, जो इसके साथ संलग्न हैं और निम्नानुसार चिह्नित हैं:-

i. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली के याचिकाकर्ता के ओपीडी कार्ड दिनांक 22.02.2023 की वास्तविक प्रति इसके साथ दायर की गई है और इसे संलग्नक क के रूप में चिह्नित किया गया है|

ii. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली के दिनांक 27.02.2023 के याचिकाकर्ता के डिस्चार्ज समरी शीट की वास्तविक प्रति इसके साथ दायर की गई है और इसे संलग्नक ख के रूप में चिह्नित किया गया है|

iii. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय जेल अस्पताल, तिहाड़ द्वारा जारी याचिकाकर्ता के चिकित्सा रिकॉर्ड की वास्तविक प्रति इसके साथ दायर की गई है और इसे संलग्नक ग के रूप में चिह्नित किया गया है|

iv. याचिकाकर्ता के अपोलो अस्पताल, सिकंदराबाद के दिनांक 03.05.2023 के पर्चे की वास्तविक प्रति इसके साथ दायर की गई है और इसे संलग्नक घ के रूप में चिह्नित किया गया है|

5. *कि याचिकाकर्ता के उपरोक्त दस्तावेज/चिकित्सा रिकॉर्ड जमानत आवेदन के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हैं और उन्हें न्याय के हित में अभिलेख पर लिया जा सकता है|*

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की मेडिकल हिस्ट्री है और वह न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी पीड़ित था| विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सत्यापित चिकित्सा रिकॉर्ड पर भरोसा जताया है| याचिकाकर्ता के सत्यापित चिकित्सा रिकॉर्ड के अनुसार, निम्नानुसार यह पाया गया है कि:-

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के ओपीडी कार्ड दिनांक 22.02.23 में, याचिकाकर्ता का निम्नानुसार निदान किया गया थाः

पीठ दर्द x 25 दिनों की शिकायत
कोई बुखार/आघात नहीं
एच/ओ बी/एस लोअर लिम्ब रेडिक्युलोपैथी
ओ/सी: एल.एस. स्पाइन
नर्मी + एल4
एसएलआर आर-50 डिग्री एल-60 डिग्री
न्यूरोलॉजी-डब्ल्यूएनएल
सला.:गर्म पानी से सिकाई
1. टै. डोडो एसओ दिन में दो बार 3 दिन
2. टै. पैन दिन में एक बार
3. टै. मेल्टोकबैंड एसओओ, दिन में दो बार
डोलो जैल

-सीटी स्कैन एलएस स्पाइन
1175/टीएलएस

ओउलटीओ सिपीडी-3 में शुक्रवार 24.02.2023 को समीक्षा

6. इसके बाद याचिकाकर्ता दिनांक 24.02.2023 से 27.02.2023 तक दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती रहे थे| दिनांक 27.02.2023 की डिस्चार्ज सम्मरी में, यह उल्लेख किया गया कि:-

दाखिल होने पर निदान *पीठ के निचले हिस्से में तेज़ दर्द*

निर्णायक निदान *द्विपक्षीय लोअर लिम्ब रेडिकुलोपैथी*

ओपरेशन *रूढ़ीवादी तरीके से इलाज*

मामले का सारांश: रोगी को उपर्युक्त निदान के साथ भर्ती किया गया था और उसके लक्षणों के रूढ़ीवादी तरीके से इलाज के लिए योजना बनाई गई थी| उन्हें लम्बर ट्रैक्शन और मेडिकल थेरेपी पर प्रबंधित किया गया था, रोगी अब प्रतीकात्मक रूप से बेहतर है और उसे निम्नलिखित सलाह के साथ डिस्चार्ज करने के लिए योजना बनाई जा रही है|

याचिकाकर्ता को सीटी स्कैन की सलाह दी गई थी और उसे चार सप्ताह के बाद दुबारा आने के लिए कहा गया था| विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय जेल द्वारा दिनांक 28.02.2023 की परीक्षा के निष्कर्षों पर भरोसा किया है:-

10.03.2023

पीठ दर्द की शिकायत जो दोनों निचले अंगों में जा रहा है ओ/ई मरीज़ और 'अपठनीय'

बीपी-160/94 एम

डी-80 एमजी

सीवीएस-एलएल+

सी.एन.एस.-'अपठनीय'

छाती-बी/एल, ए/ई बराबर

पी/ए- कोमल गैर नर्मी

टैब-एम्लोडीपाइन 5 एमजी दिन में एक बार X 7 दिन

सला.-सीएसटी 28-02-2023

1 सप्ताह तक

समीक्षा सी. एस.आर. ऑर्थो

एस लिपिड प्रोफाइल सी एसआर मेडिसिन

सीटी एलएस स्पाइन-डी12-एलएल डिस्क

स्पेस

सी माइल्ड ऑस्टियो फाइटिक फॉर्मेशन में कमी

10.03.2023

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे केंद्रीय जेल अस्पताल, तिहाड़/मोडोली के ओपीडी टिकट सं. 1245/23 का उल्लेख किया है, याचिकाकर्ता की शिकायत और निदान निम्नानुसार हैः

पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत

सी रेडियोलोपैथी बी/सी एलएल

एच/ओ जर्क आरवाई

8. याचिकाकर्ता को फिर से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सीजे-04, तिहाड़ द्वारा दिनांक 18.03.2023 को जांच की गई थी| चिकित्सा रिपोर्ट निम्नानुसार इंगित करती है कि:-

म. ने फिर से
पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत की है
विकिरण बी/एल एलएल

सला.

- स्पाइन (तात्कालिक) एम.आर.आई. लिटाकर
- लंबे समय तक खड़े रहने और बैठने से बचें

- भारी सामान उठाने से बचें
- आगे झुकने से बचें
- थोड़ी बहुत नर्मी
- रोम
- हल्की सूजन
- क्रीपिलस -

सीएसटी-15 दिन
2 सप्ताह के बाद ओपीडी

9. जब याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर था, उसकी जांच दिनांक 02.05.2023 को अपोलो अस्पताल में डॉ. नवीन पी. रेड्डी, डी. ऑर्थ, एम.च(ऑर्थ) ज्वाइंट रिप्लेसमेंट फेलो (इज़राइल) कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा की गई थी, परीक्षा का निष्कर्षण निम्नानुसार है:-

(क) शिकायतें प्रस्तुत करना:

- *बाएँ पैर के निचले हिस्से में सुन्नता के कारण गिरने से सुबह से पीठ के निचले हिस्से में तेज़ दर्द*
- *झुकने, चलने या मुड़ने में मुश्किल*
- *चक्कर आना/बिहोशी जैसा*

(ख) वर्तमान बीमारी का इतिहास

- *झुकने पर दर्द बढ़ जाता है*

(ग) पूर्व चिकित्सा/सर्जिकल इतिहास

- *बाएं निचले अंग में जा रहे दर्द की गंभीर शिकायतों का इलाज एनल्जेसिक और पूर्ण रूप से आराम द्वारा किया गया|*
- *लम्बर स्पाइन का सीटी स्कैन डिस्क प्रोप्लास्पे डी12.11 लम्बर 1 डिस्क प्रोप्लास्पे विकृत परिवर्तनों के साथ दर्शाता है|*
- *एचटीएन*

उसी परीक्षा में दिनांकित 02.05.2023 में डॉ. नविन पी. रेड्डी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:-

महत्वपूर्ण निर्देश

- *4 दिनों के लिए पूर्ण रूप से आराम*
- *गर्म सिकाई 2//3 दिन,*
- *फिजियोथेरेपी लम्बर क्षेत्र आई//एसडब्ल्यूडी// ट्रैक्शन 1 सप्ताह के लिए*
    - *दर्द कम होने के बाद पीठ को मजबूत करने वाले व्यायाम*
    - *पीठ दर्द को कम करने के लिए उच्च रक्तचाप की दवाएं/नमक प्रतिबंधित आहार/वजन घटाना जारी रखें*
    - *यदि लक्षण कम नहीं होते हैं लम्बर स्पाईन एम.आर.आई. स्कैन की सलाह दी जाती है*
- *पूर्वानुमान संरक्षित है*
- *न्यूरोसर्जन का मत*

उपाय

- *अनुवर्ती तिथि-10 मई-2023 11.15 पूर्वाह्न*

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसके बाद, जब याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर था, दिनांक 03.5.2023 को, अपोलो अस्पताल में डॉ. अमितावा रे, एमबीबीएस, एमडी (कार्डिफ, यूके) एफआरसीएसईडी, एफआरसीएस (न्यूरोसर्जरी) रजि. सं. एपीएमसी-770015 वरिष्ठ परामर्शदाता न्यूरोसर्जन द्वारा उनकी जांच की गई थी, जिसका निष्कर्षण निम्नानुसार है:-

    - *श्री पी. शरत चंद्र रेड्डी*
    - *सी/ओ-चक्कर आना + सर घूमना - लगातार*
    - *- पीठ दर्द-पैर के नीचले हिस्से तक जाता हुआ*
    - *- कभी-कभी सिरदर्द-अनिद्रा*
    - *एस/बी - एलबीपी के लिए ऑर्थोपेडिक दवा दी गई।*

- *ओ/ई- कोई ऑय कांटेक्ट नहीं, ऊर्जाहीन महसूस करना;*
- *कहना है कि किसी से बात करने में असमर्थ*
- *एसएलआर ने एल लेग को कम कर दिया। ऐंठन + + सी-स्पाइन*
- *सोमटाइजेशन + तनाव/अवसाद संबंधित।*
- *आवश्यकताएं:- 1. रक्त सीबीसी इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन,*
- *लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी एवं विटामिन डी स्तर,*
- *2. मस्तिष्क का एमआरआई*
- *आर. टी. एसिटाकोप्रम 10 मिलीग्राम सोने के समय-10 बजे रात*
- *काउंसलिंग।- अभी*
- *1 महीने में देखें: यदि आवश्यक हो तो पहले*

11. श्री विकास पहवा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जब याचिकाकर्ता जमानत पर था तब उसकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पीएमएलए की धारा 45 को देखते हुए, चूँकि याचिकाकर्ता बीमार और अशक्त है उसका जमानत पर रिहा होना हक है। विद्वान अधिवक्ता ने ***देवकी नंदन गर्ग बनाम प्रवर्तन निदेशालय,*** 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 3086 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः

33. पीएमएलए के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि पीएमएलए की धारा 45(1) के परंतुक के

रूप में जमानत देने के लिए उपरोक्त शर्तों को शामिल करना सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चों; एक महिला; या जो बीमार या अशक्त है के लिए छूट को शामिल करने के लिए विधायिका के इरादे को स्पष्ट करता है ।

34. उपर्युक्त स्थिति का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय में किया गया था, विशेष रूप से अनुच्छेद 34 जो निम्नानुसार है:

"34. हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपों पर शिकायत दर्ज की गई है। अपीलकर्ता की ओर से यह प्रतिविरोध किया गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया है, जो कि पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध है, प्रत्यर्थीगण द्वारा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी तक किसी विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है और यह उल्लेखनीय होगा कि सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को अपास्त करने के लिए अनुरोध करने वाली आपराधिक पुनरीक्षण अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है। हमने नोट किया है कि पीएमएलए की धारा 45 का उनके बीच संघर्ष के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पीएमएलए की धारा 45 उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट जमानत हेतु दो शर्तें लगाती है।

हमने उक्त अधिनियम की धारा 45 के परंतुक को नहीं छोड़ा है जो इंगित करता है कि विधायिका ने विशेष न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के लिए एक अपवाद बनाया है जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार है या अशक्त है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएमएलए की धारा 45-क के तहत निर्धारित शर्तें, उच्च न्यायालय को विशेष कानून के प्रावधानों के रूप में बाध्य करेंगी, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के प्रावधानों पर अध्यारोही प्रभाव डालती हैं, भले ही जमानत के लिए आवेदन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत विचार किया जाए।

35. इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 45(1) के परंतुक में उन व्यक्तियों के लिए धारा 45 की कठोरता से एक अपवाद बनाया गया है जो बीमार या अशक्त हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति धारा 45(1) के प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो उसे धारा 45(1) के तहत दोहरी शर्तों को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि गौतम कुंडू मामले (पूर्वोक्त) के डिक्टा में स्पष्ट किया गया है।

45. चूँकि वर्तमान मामला पीएमएलए की धारा 45 से संबंधित है, यह ध्यान दिया गया है कि न्यायालयों ने उपरोक्त अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए भी जमानत के लिए आरोपी की चिकित्सा स्थिति पर विचार किया है। डी. के. शिवकुमार बनाम प्रवर्तन निदेशालय में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत प्रदान की:

"18. उपर की गई चर्चा के अतिरिक्त; निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता को पिछले 3 हफ्तों में 4 बार अस्पताल में भर्ती कराया

गया है और उसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हाइपोथायरायडिज्म, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का रोगी पाया गया है। याचिकाकर्ता को हृदय संबंधी देखभाल इकाई (सीसीयू) में रखा गया था और याचिकाकर्ता ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, इसलिए दिनांक 18-9-2019 को याचिकाकर्ता पर एंजियोग्राफी भी की गई थी।

19. इसके अलावा, पीएमएल अधिनियम की धारा 45 के परंतुक में कहा गया है कि बीमार व्यक्ति के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए।

46. आवेदक का गंभीर सह-रुग्णताओं से पीड़ित रहना जारी है, जिसमें शामिल है, पर सीमित नहीं है, एक गंभीर हृदय स्थिति और एक निष्क्रिय गुर्दा, जबकि दूसरा कम क्षमता काम कर रहा है। यह देखते हुए कि आवेदक वृद्ध, बीमार और अशक्त है, जो विभिन्न जटिल बीमारियों से पीड़ित है, आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए।

12. विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन 3575/2022 दिनांकित 17.03.2023 में ***केवल कृष्ण कुमार बनाम प्रवर्तन निदेशालय*** में भी इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है

"45. हालांकि, विधायिका ने धारा 45(1) पीएमएलए के परंतुक में एक और श्रेणी अर्थात "दुर्बल" बनाई है।

46. चूँकि "बीमार" और "अशक्त" को "या" "द्वारा अलग किया गया है, नतीजतन, एक व्यक्ति जो, हालांकि, बीमार नहीं है, लेकिन अशक्त है, फिर भी धारा 45(1) पीएमएलए के परंतुक में अपवाद का लाभ लेने का हकदार होगा और विलोमतः।

47. केवल वृद्धावस्था किसी व्यक्ति को धारा 45(1) के परंतुक के अंतर्गत "दुर्बल" नहीं बनाती है। दुर्बलता को ऐसी चीज के रूप में

परिभाषित नहीं किया गया है जो केवल आयु से संबंधित है, बल्कि इसमें एक विकलांगता शामिल होनी चाहिए जो एक व्यक्ति को दैनिक आधार पर सामान्य नियमित गतिविधियों को करने में असमर्थ बनाती हो।

57. देवकी नंदन गर्ग (पूर्वोक्त) में, मैंने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

> *"35. इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 45(1) के परंतुक में उन व्यक्तियों के लिए धारा 45 की कठोरता में एक अपवाद बनाया गया है जो बीमार या अशक्त हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति धारा 45(1) के परंतुक के अंतर्गत आता है, तो उसे धारा 45(1) के तहत दोहरी शर्तों को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि गौतम कुंडू मामले के डिक्टा में स्पष्ट किया गया है [गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2015) 16 एससीसी 1 : (2016) 3 एससीसी (सीआरआई) 603]।"*

58. एक बार जब आवेदक धारा 45(1) परंतुक के अपवाद खंड में आ जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में "दुर्बल" होने के कारण, आवेदक को धारा 45(1) पीएमएलए के दोहरे परीक्षण को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आवेदक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437/439 के तहत तिहरा परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता हैः

i. फरार होने का जोखिम।

ii. किसी भी गवाह को प्रभावित करना।

iii. सबूतों के साथ छेड़छाड़।"

13. श्री एस. वी. राजू, विद्वान अति.महा.सा ने अत्यंत उचित रूप से प्रस्तुत किया है कि बीमार या दुर्बल होने के आधार पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने के संबंध में विधि सुस्थापित है और यदि यह न्यायालय चिकित्सा अभिलेख से संतुष्ट है जिसे विधिवत सत्यापित किया गया है, तो एक उचित आदेश पारित किया जा सकता है। विद्वान अति.महा.सा ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं किया है या किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं की है।

14. यह उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थी विभाग ने यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं रखी है कि याचिकाकर्ता के फरार होने का खतरा है। यह भी एक स्थापित प्रस्ताव है कि जीवन का अधिकार संविधान द्वारा निहित मौलिक अधिकार का पहलू है। गरिमा के साथ जीने के अधिकार में स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। जो व्यक्ति बीमार या अशक्त है, उसे पर्याप्त और प्रभावी उपचार का अधिकार है। हालांकि जेल व नामित अस्पताल कुशल मौलिक उपचार प्रदान करते हैं, लेकिन हम उनसे वर्तमान मामले में आवश्यकता के अनुसार विशेष उपचार और देखभाल प्रदान करने की उम्मीद नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता की अंतिम चिकित्सा आख्या दिनांकित 03.05.2023 से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की हालत खराब है और उसे बीमार/दुर्बल श्रेणी में रखा जा सकता है।

15. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे चिकित्सीय अभिलेख और विद्वान अति.महा.सा. द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियां को देखते हुए, याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अध्यधीन समान राशि के दो प्रतिभू के साथ रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत प्रदान की जाती हैः

(i) याचिकाकर्ता अपना पासपोर्ट सौंप देगा और विद्वान विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना यात्रा नहीं करेगा।

(ii) याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा जैसा और जब जांच अधिकारी द्वारा निर्देशित किया।

(iii) याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के साथ संवाद नहीं करेगा या उसे भयभीत या प्रभावित नहीं करेगा या मामले के सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iv) जब भी मामला सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा, याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(v) याचिकाकर्ता रिहाई के समय संबंधित जांच अधिकारी (आईओ) को अपना मोबाइल नंबर देगा, जिसे वह हर समय चालु रखेगा। याचिकाकर्ता जमानत की अवधि के दौरान संबंधित आई.ओ. को पूर्व सूचना दिए बिना इसे बंद या बदलेगा नहीं;

(vi) यदि वह अपना पता बदलता है, तो वह संबंधित आई.ओ. और इस न्यायालय को भी सूचित करेगा;

(vii) याचिकाकर्ता जमानत अवधि के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा;

16. यह न्यायलय यह स्पष्ट करता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए पारित किया गया है और इसलिए इसे एक पूर्व निर्णय के रूप में नहीं लिया जाए।

17. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर ध्यान नहीं दिया है और इसमें की गई कोई भी अभिव्यक्ति मामले के गुणागुण पर अभिव्यक्ति के समान नहीं होगी।

18. लंबित आवेदन के साथ याचिका का निपटान किया जाता है।

19. आदेश की प्रति सूचना तथा आवश्यक अनुपालन के लिए संबंधित जेल अधीक्षक को भेजी जाए।

20. आदेश की प्रति कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत दस्ती दी जाए।

दिनेश कुमार शर्मा, न्या.

8 मई, 2023
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*